"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2012—वैशाख 11, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/2053/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-513/957/14-1, भोपाल दिनांक 27-01-1969 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक/3621/एफ-14-34/2007/14-2, रायपुर दिनांक 19-06-2008 द्वारा तत्कालीन सरगुजा जिले (वर्तमान-कोरिया जिले) के तत्कालीन विकासखंड मनेन्द्रगढ़ तथा खड़गवा के मंडी क्षेत्र तथा कोरिया जिले के जनकपुर (भरतपुर तहसील) के मंडी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, मनेन्द्रगढ़ में मंडी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "मनेन्द्रगढ़ मंडी के अधिसूचित मंडी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मनेन्द्रगढ़ की मंडी को बंद करने के लिये, अधिसूचना क्रमांक/2638/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 11-07-2011 जारी करते हुए इसके आशय को संसूचित करती है.

अतएव छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है, कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ मंडी को बंद किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक/2053/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2053/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 01-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 1st May 2012

NOTIFICATION

No./2053/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No. 513/957/14-1, Bhopal dated 27-01-1969, issued under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) and amended notification No./3621/F-14-34/2007/14-2, Raipur dated 19-06-2008, regulated the market at Manendragarh, having market area comprising of the then Development blocks Manendragarh and Khadgawa of the then Sarguja District (Presently-Koria District) and mandi area of Janakpur (Bharatpur Tahsil) of Koria District, hereafter refer to as "the notified market area of Manendragarh Mandi".

Whereas, by issuance of notification No./2638/F-04/01/2010/14-2, Raipur 11-07-2011, the State Government, by exercise the power conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablished the market of Manendragarh.

Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, direct that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the Manendragarh Mandi of Koria District shall be disestablished.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/2055/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी, राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना क्र./डी-15/14/89/14-3, भोपाल दिनांक 25-01-1991 एवं संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्र./डी-15-102/95/14-3, भोपाल, दिनांक 04-11-1997 द्वारा, तत्कालीन रायगढ़ जिले के अंतर्गत बगीचा तहसील के तत्कालीन विकासखंड बगीचा तथा कुनकुरी तहसील के विकासखंड कांसाबेल के मंडी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, बगीचा में मंडी विनियमित की गई है, जो इसके पश्चात् "बगीचा मंडी के अधिसूचित मंडी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बगीचा मंडी को बंद करने के लिये, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/2842/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 23-07-2011 जारी करते हुए इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जशपुर जिले की बगीचा मंडी को बंद किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक/2055/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2055/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 01-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 1st May 2012

NOTIFICATION

No./2055/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No./D-15/14/89/14-3, Bhopal dated 25-01-1991, and amended notification vide No./D-15-102/95/14-3, Bhopal dated 04-11-1997, issued under Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) regulated the market at Bagicha, having market area comprising of the then Development blocks Bagicha of Bagicha Tahsil and block Kasabel of Kunkuri Tahsil under the then Raigarh District, hereafter referred to as "the notified market area of Bagicha Mandi".

Whereas, by issuance of notification vide No./2842/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablished the market of Bagicha.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, direct that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the Bagicha Mandi of Jashpur District shall be disestablished.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/2057/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी, राज्य सरकार के अधिसूचना क्र. 2483-9227/14-3, भोपाल दिनांक 28-04-1969 द्वारा, सरगुजा जिले के तत्कालीन विकासखंड सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के मंडी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, राज्य सरकार द्वारा सीतापुर में मंडी विनियमित की गई, जो इसमें इसके पश्चात् "सीतापुर मंडी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (चार) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने सीतापुर मंडी को बंद करने के लिये, अधिसूचना क्रमांक 2642/एफ-4/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 11-07-2011 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सरगुजा जिले की सीतापुर मंडी को बंद किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक/2057/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2057/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 01-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 1st May 2012

NOTIFICATION

No./2057/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No. 2483-9227/14-3, Bhopal dated 28-04-1969, issued under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the market at Sitapur, having market area comprising of the then Development blocks Sitapur, Batoli, Narmadapur and Mainpat of Sarguja District, hereafter referred to as "the notified market area of Sitapur Mandi".

Whereas, by issuance of notification vide No./2642/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 11-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablished the market of Sitapur.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, direct that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Cazette, the Sitapur Mandi of Sarguja District shall be disestablished.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.